ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 167-170

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

महात्मा गाँधीः अहिंसा और सत्याग्रह

रंजीत कुमार

शोध अध्येता, समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, ओ.पी.आई.भी. केशरबाग खैरा, जहानाबाद (बिहार) भारत

Received- 29.10.2019, Revised- 04.11.2019, Accepted - 07.11.2019 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : *मोहनदास करमचन्द गांधी (1861–1948) जिन्हें सम्मानपूर्वक महात्मा गांधी के नाम से स्मरण किया जाता है, कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें 'बापू' के नाम से भी पुकारता है, का जन्म 2 अक्टूबर 1861 को पोरबन्दर में हुआ था। उनके पिता करमचन्द काठियावाड़ गुजरात राज्य में पोरबन्दर रियासत के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की प्रारम्भिक शिक्षा–दीक्षा आल्फ्रेड हाईस्कूल, राजकोट में हुई। गांधीजी का विवाह उनकी आयु के 13वे वर्ष में, पोरबन्दर के व्यापारी गोकुलदास मकानी की सुपुत्री कस्तूरबा से हुआ। वकालत की उच्च शिक्षा करने के लिए 4 सितम्बर 1888 को उन्होंने इंगलैंड प्रस्थान किया।*

कुंजी शब्द – सम्मानपूर्वक, स्मरण, कृतज्ञ राष्ट्र, रियासत, शिक्षा–दीक्षा, उच्च शिक्षा, संघर्षशील, समाज सुधारक।

गांधीजी तत्वशास्त्र तथा राजनीतिक दर्शन के क्षेत्रों में रीतिबद्ध तथा शास्त्रीय पद्धति से चिन्तन करने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे इतिहास में संघर्षशील, समाजसुधारक, समाजसेवी, विचारक तथा मुक्तिदाता के रूप में प्रतिष्ठित हुये। गांधी जी की वचनबद्धता सम्पूर्ण मानव जाति के प्रति थी। दक्षिण अफ्रीका तथा भारत की राजनीति उनकी प्रयोगशाला थी, जिसमें उन्होंने अपने सत्य तथा अहिंसा संबंधी सिद्धान्तों का परीक्षण किया। गांधी के बारे में कहा जा सकता है कि वे दूसरे प्लेटों और सिसेरो से है, उन्होंने राजनीति की समस्याओं के संबंध में आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग का समर्थन किया। 1893 से 1914 तक गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में जातीय एवं रंगभेद नीति के विरूद्ध संघर्ष किया। इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधीजी को झकझोर दिया था– पोर्ट नैटाल (डरबन) में एक न्यायालय में यूरोपियन मजिस्ट्रेट ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा, यह भारतीय परम्पराओं के विरूद्ध था। इसी प्रकार एक अनुभव गांधीजी को प्रिटोरिया जाते समय हुआ। उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतर जाने के लिए कहा गया। गांधीजी को दक्षिणी अफ्रीका में चार्ल्स टाउन में यूरोपियन के साथ गाड़ी में बैठने से रोका गया एवं जब उन्होंने अपनी सीट से उठने से इन्कार किया तो उन्हें बलपूर्वक गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। इन समस्त घटनाओं एवं अनुभवों के परिणामस्वरूप उन्होंने इस गंभीर सत्य की रक्षा हेतु संघर्ष किया कि सब मनुष्य समान तथा स्वतंत्र हैं। इसी महान संदेश के कारण सी.एफ.एंड्रज जैसे (उस शताब्दी के सबसे बड़े ईसाई) लोग गांधीजी के परमभक्त बन गये।

1915 से 1948 तक गांधीजी ने भारत में देश की स्वतंत्रता तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। उनका यह आग्रह कि राजनीति में भी मनुष्य को पवित्र तरीकों से ही काम लेना चाहिए, प्रत्येक युग के श्रेष्ठ मानव की आकांक्षाओं का निरूपण करता है। वे सत्य पर सदैव दृढ़ रहे, और उन्होंने मानव–जाति के पूर्णतावादी स्वप्नों को अपने तथा समाज के जीवन में साकार करने का सतत दृढ़संकल्प के साथ प्रयत्न किया। सादगी तथा धर्मपरायणता संबंधी विचार गांधी को प्रभावित किये हुये थे। जो रस्किन की पुस्तक ''ऑन टु दिस लास्ट'' ने और दृढ़ बना दिया। पुस्तक में औद्योगिक समाज, औद्योगिकीकरण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन था तथा गरीबी एवम् अन्याय के विरूद्ध संघर्ष की बात कही गई थी।

गांधीजी ने जीवन को उसके समस्त व्यापक रूपों सहित स्वीकार किया। उनका मूल आदर्श स्थितप्रज्ञ बनना था तथा व्यवसात्मिज्ञ बुद्धि प्राप्त करना था। उन्होंने दूरूहतम आत्मा की शान्ति तथा व्यक्तित्व का एकत्व प्राप्त कर लिया था। उनके समग्र जीवन में, जो पूर्ण निश्छलता तथा ईमानदारी के कार्यों का संकुल था, जिसमें सशक्त आध्यात्मिक एकता व्याप्त थी। सम्भवतः इसी कारण वे एक पैगम्बर–सन्देशवाहक बन गये। मनोविश्लेषण विज्ञान का चाहे उसे व्यक्ति पर लागू किया जाय अथवा चाहे इतिहास पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि विश्व में दुःख तथा संघर्ष का वास्तविक कारण व्यक्तित्व का विखंडन है। समस्त विश्व के अगणित दुःखी, विक्षुब्ध तथा क्रोधाग्नि से उन्मत लोगों हेतु गांधी जी का सन्देश था कि सृजनात्मक अहिंसक और आध्यात्मिक जीवन का साक्षात्कार करके संवेगों की एकता तथा व्यक्तित्व का अन्ततः सामंजस्य प्राप्त करना ही इन समस्त रोगों का एकमात्र उपचार है।

अहिंसा और सत्याग्रह– भारतीय परिप्रेक्ष्य में अहिंसा की शिक्षा कोई नूतन दृष्टि नहीं है। मात्र बौद्ध तथा जैन धर्मों में ही नहीं अपितु अहिंसा के महातम्य की चर्चा उनसे पूर्व उपनिषदों में है। अहिंसा भारत की सभ्यता का

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

सार है, वह हिन्दुओं का सनातन धर्म है। वह प्राग्वैदिक और आर्यों से पूर्व की उपलब्धि है। यर्थातः अहिंसा का उपदेश भारत में इतने दिनों से दिया जा रहा है कि शेष विश्व भारत को अहिंसा और निवृति का देश ही मान बैठा है। किन्तु, इतना होते हुए भी वर्तमान जगत में अहिंसा के प्रवर्त्तक महात्मा गांधी माने जाते हैं। अहिंसा को लेकर गांधीजी को संसार में जो सुयश प्राप्त हुआ, वह बुद्ध के सुयश से अधिक है, क्योंकि बुद्ध ने यद्यपि, अहिंसा का पालन स्वयं किया तथा शिष्यों से भी करवाया, किन्तु, सन्तों को अहिंसा व्रत के पालन में वही कठिनाई नहीं होती, जो गृहस्थ को होती है। फिर यह बात भी है कि व्यक्ति के लिए अहिंसा का पालन उतना दुस्साध्य नहीं होता, जितना समष्टि के लिए होता है। अहिंसा परम धर्म के युगों से पूजित चली आ रही थी, किन्तु गांधीजी से पूर्व किसी ने भी, समष्टि के धरातल पर अथवा कोटि जन–व्यापी महाआन्दोलनों के भीतर से अहिंसा का प्रयोग नहीं किया था। गांधीजी ने यह प्रयोग किया और उनके प्रयोग से संसार के असंख्य लोगों में यह आस्था उत्पन्न हुई कि साधना सामूहिक कार्यों में भी चल सकती है।

जिस प्रकार, अरविन्द ने मनुष्य की शक्तियों एवं स्वभाव को विकसित करके उसे अति मनुष्य की कल्पना की है, कुछ वैसी ही कल्पना महात्मा गांधी ने की। उनका विचार था कि मनुष्य का वैयक्तिक एवं सामूहिक उद्धार इस बात में है कि वह अपने भीतर की पशुता को बिलकुल छोड़कर उन गुणों की वृद्धि करें, जो उसे पशु से भिन्न करने वाले हैं। उनका प्रयास मनुष्य की भूलों का प्रक्षालय था। उनका उद्देश्य मनुष्य को इस प्रकार रूपान्तरित कर देना था कि वह किसी भी बात में पशुओं का भागीदार न रहे और उनका यह क्रान्तिकारी उद्देश्य अहिंसा के प्रयोग में जितना निखरा, उतना और कहीं नहीं। अहिंसा यह शब्द ही गांधी धर्म का निचोड़ है तथा हिंसा से पूरित विश्व में यह एक शब्द गांधीजी का जितना व्यापक प्रतिनिधित्व करता है, उतना उनके और सारे उपदेश मिलकर भी नहीं कर पाते और यह ठीक भी है, क्योंकि गांधीजी की अहिंसा केवल अनाघात का ही पर्याय नहीं है, प्रत्युत, वह जीवों के प्रति आन्तरिक भक्ति और प्रेम को अभिव्यक्त करती है।

यह अहिंसा सत्य का ही दूसरा रूप है। मनुष्य गलतियाँ इसलिए करता है कि वह अज्ञान की अवस्था में है। अज्ञान से ज्ञान अथवा सत्य तक जाने के लिए विवेक चाहिए, तर्क और विचार चाहिए तथा इसके लिए उस बुद्धि की भी आवश्यकता है, जो पूर्वाग्रह से पीड़ित नहीं है, जो अन्धी होकर अपने ही पक्ष का प्रमाण खोजना नहीं चाहती, जो उस निष्कर्ष का भी स्वागत करने को तैयार है जो उसके विपक्ष में पड़नेवाला है। ऐसी बुद्धि उसी व्यक्ति की हो सकती है, जो आत्म–शुद्धि और आत्म विश्लेषण की योग्यता से युक्त है जिसमें नैतिक बल का अभाव है, वह सत्य की उपलब्धि नहीं कर सकता। विचारों के स्वच्छ हो जाने पर सत्य का प्रेम प्रकट होता है और जब विचार सत्यवादी हो जाते हैं, तब मनुष्य की वाणी और क्रिया भी सत्यवादिनी हो उठती है। जिस मनुष्य में निखिल मानवता के लिए हार्दिक प्रेम नहीं होगा, उसके विचार, वाणी और कार्य, सत्य से परिचालित नहीं होंगे। मनुष्य सत्य इसलिए बोलता है कि अन्य मनुष्यों के प्रति उसमें आदर और प्रेम है।1 किसी से प्रेम भी करना तथा वाणी और क्रिया के द्वारा उसे धोखा भी देना ये परस्पर विरोधी बातें हैं, जहाँ प्रेम है सत्य वहीं निवास करता है तथा जहां प्रेम और सत्य रहते हैं, वहाँ क्रिया, निश्चित रूप से अहिंसामयी हो जाती है।

गांधीजी की अहिंसा क्रोधी, द्वेष या असत्य सेवी व्यक्ति की अहिंसा नहीं है। इसलिए, वे जीवन भर में एक बार भी उन लोगों से सहमत नहीं हो सके जो अहिंसा को सिद्धान्त नहीं मानकर केवल नीति मानते थे। अहिंसा को गांधीजी ने उपयोगिता के लोभ में आकर ग्रहण नहीं किया था, प्रत्युत, इस भाव से कि वह मनुष्य का एक मात्र धर्म है, जैसे हिंसा पशुओं का स्वाभाविक धर्म समझी जाती है। पशुओं की तरह बात–बात पर हल मारना मनुष्य का धर्म नहीं हो सकता। उसकी गरिमा इस बात में है कि वह अपने उपर ऊंची नैतिकता का नियंत्रण स्वीकार करे जिसका पशुओं को ज्ञान भी नहीं है। अंग्रेजों के विरूद्ध अपने संघर्ष में वे पशु और मनुष्य के संघर्ष का रूप देखते थे। ''अंग्रेज हमारे संघर्ष को बन्दूकों के धरातल पर ले आना चाहते हैं, क्योंकि बन्दूकें उनके पास है, जिन्हें वे चला सकते हैं। किन्तु, हम तो उसी धरातल पर डट कर लड़ेंगे, जिस धरातल के शस्त्र हमारे पास हैं और अंग्रेजों के पास नहीं हैं।'

गांधीजी के अहिंसा के प्रयोग पर एक समय सारा संसार हंसता था और बड़े–बड़े लोग यह कह कर शंका से सिर हिलाया करते थे कि इतिहास में कभी भी तो अहिंसक क्रान्ति नहीं हुई, किन्तु अहिंसा में जो शक्ति छिपी है, उसे केवल गांधीजी की दृष्टि देख सकती थी। सच्ची अहिंसा भय नहीं, प्रेम से जन्म लेती है, निस्सहायता नहीं, सामर्थ्य से उत्पन्न होती है। जिस सहिष्णुता में क्रोध नहीं, द्वेष नहीं निस्सहायता का भाव है। उसके समक्ष बड़ी–से–बड़ी शक्तियों को भी झुकना ही पड़ेगा। चूंकि अहिंसा के पीछे द्वेष और दुर्भावना न होकर प्रतिपक्षी के प्रति भी प्रेम ही रहता है, इसलिए, गांधीजी का उपदेश था कि सत्याग्रहियों को इस भाव से सत्याग्रह नहीं करना चाहिए कि उन्हें प्रतिपक्षी को नीचा दिखाना है, वरन्, इस भाव से कि प्रतिपक्षी के हृदय

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

से कटुता हटाकर उसके भीतर सद्भावना को जन्म देना। अहिंसा वह साधन है जिससे संघर्ष के दोनों पक्षों का कल्याण होता है, दोनों के भीतर ऊंची मानवता स्फुटित होती है।

गांधीजी की अहिंसा केवल हनन से विरति का नाम नहीं है। ''अहिंसा हृदय की गहराई से आनी चाहिए, अतएव यह आवश्यक है कि सत्याग्रही के मन में घृणा क्रोध और प्रतिकार की भावना न रहे। जो भीतर तो इन दुर्भावनाओं को छिपाये हुए है और बाहर केवल भय के मारे, हिंसक प्रहार करने से घबराता है, वह सच्ची अहिंसा का पालक नहीं। उसे तो दम्मी और कायर समझना चाहिए।'' अहिंसा, वास्तव में, शक्तिशाली और वीर का गुण है, कायरों का नहीं। गांधी जी ने कहा है, मेरी अहिंसा अत्यन्त क्रियाशील है। उसमें कायरता तो क्या, दुर्बलता के लिए भी स्थान नहीं है। ''यही नहीं प्रत्युत, गांधी जी तो यह भी कहते हैं कि ''जहाँ सारा चुनाव केवल कायरता और हिंसा के बीच सीमित हो, वहां मैं हिंसा का समर्थन करूंगा।''2 गांधीजी का अहिंसा से तात्पर्य असहाय अवस्था तथा कायरता से नहीं हैं, अपितु अहिंसा से तात्पर्य प्रतिकार लेने की क्षमता से है। यह ऐसा अल्प या संक्षिप्त विचारपूर्वक प्रतिरोध है जिसे प्रत्येक व्यक्ति प्रतिहिंसा के विरूद्ध प्रयुक्त कर सकता है। अहिंसा तथा सत्य में घनिष्ट संबंध है। अहिंसा व्यक्ति का जीवन लक्ष्य नहीं है, अपितु व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सत्य है। किन्तु हम मानवीय संबंधों में सत्य की अनुभूति केवल अहिंसा के व्यवहार के द्वारा ही कर सकते हैं। गांधीजी के शब्दों में, अहिंसा की स्थिति प्रकल्पना सत्य से अपरिवर्तन रूप से जुडी है। इसी कारण मैं अहिंसा से प्रभावित हूं। सत्य से मेरा संबंध स्वतः ही स्थापित हो जाता है। अहिंसा को मैंने संघर्ष के उपरान्त प्राप्त किया है।

सत्याग्रह, अहिंसा का शस्त्र – सत्याग्रह से तात्पर्य सत्य पर दृढ़ रहने या सत्य पर जोर देने से है। गांधी जी के अनुसार यह आत्मा या प्रेम की शक्ति है। यह एक प्रकार से सत्य के लिए की जाने वाली तपस्या है। इसमें हिंसा का समावेश नहीं है, परन्तु इससे सक्रिय प्रतिरोध जो प्रेम, विश्वास, बलिदान या संयुक्त बल है, शामिल है। गांधी जी ने यह नाम, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय द्वारा सरकार के विरूद्ध की जाने वाली अहिंसक सीधी कार्यवाही की अभिव्यक्त करने हेतु दिया।

सत्याग्रही का लक्ष्य– सत्याग्रही का लक्ष्य केन्द्रित, स्पष्ट तथा निश्चित होना चाहिए। सत्याग्रह के नेता के द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति बल प्रयोग पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रह के नेता को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्य करने के ढंग में सुधार करना चाहिए। सत्याग्रही को अपने विरोधियों द्वारा स्पष्ट की गयी गलती को मानते हुए अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। उसे अपने विरोधियों पर प्रभाव स्थापित करने के लिए बुराइयों का अच्छाई से, क्रोध का प्यार से, असत्य को सत्य से तथा हिंसा को अहिंसा से जीतना चाहिए। उसे पाप तथा पापी के मध्य अन्तर स्थापित करना चाहिए। उसका लक्ष्य पाप को मिटाना होना चाहिए न कि पापी को मिटाना। उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के समय स्वतंत्रता, आधिपत्य परिवार इत्यादि की हानि के संबंध में नहीं सोचना चाहिए।

सत्याग्रही के लिए आचरण के नियम–

1. ब्रह्मचर्य–गांधीजी ने ब्रह्मचर्य शब्द को, उस रूप में जिस रूप में यह शब्द आमतौर पर प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त नहीं किया है। ब्रह्मचर्य से उनका तात्पर्य नियंत्रित कामवासना से था। यह एक प्रकार से विचारों शब्द तथा कार्यों से अभिव्यक्त की जाने वाली शक्ति पर नियंत्रण है। विचारों पर नियंत्रण से तात्पर्य है, न्यूनतम शक्ति में अधिकतम कार्य। प्रत्येक सत्याग्रही को अपनी शारीरिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए दूसरे व्यक्ति के क्रोध को आत्मसात करना चाहिए।

2. सत्याग्रही जीवन– सत्याग्रही जीवन के लिए भोजन ग्रहण करता है न कि वह भोजन के लिए जिन्दा रहता है। इसके लिए उसके शरीर तथा मस्तिष्क के मध्य पूर्ण सहयोग या सामंजस्य होना चाहिए। इसके लिए गांधी ने सत्याग्रही के लिए प्रार्थना तथा उपवास सहित खान–पान के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रतिबन्ध भी निर्धारित किए।

3. सत्याग्रही निडर होना चाहिए। उसे ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं डरना चाहिए। गांधीजी के शब्दों में यदि हम ईश्वर से डरते हैं तो हमें व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है।

4. वह **भौतिक प्रलोभनों** से मुक्त होना चाहिए। उसे व्यवहार में अस्तेय तथा अपरिग्रह को अपनाना चाहिए। उसे अपनी भौतिक आवश्यकताओं में वृद्धि नहीं करनी चाहिए।

5. उसे अपनी **फालतू सम्पत्ति को, समाज के ट्रस्टी** के रूप से धारण करना चाहिए। इससे वह अपनी प्रतिभा का प्रयोग समाज के लिए कर सकेगा।

6. सत्याग्रही द्वारा रोटी– श्रम के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए अर्थात् उसे केवल भौतिक परिश्रम पर ही जीवित होना चाहिए।

7. उसे **स्वदेशी के सिद्धान्त** का पालन करना चाहिए।

8. सत्याग्रही नेता को व्यक्ति–व्यक्ति के मध्य जाति या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को मान्यता नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे आधारभूत सत्य रूप में सम्पूर्ण

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

मानव जाति की एकता को स्वीकार करना चाहिए।

9. उसे सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं।

10. उसका जीवन मानवता पर आधारित होना चाहिए। गांधीजी के अनुसार ''सच्ची मानवता से तात्पर्य अति उत्साही तथा निश्चित प्रयास से है जो अन्तिम रूप से, मानव मात्र की सेवा के लिए प्रेरित करती है।

सत्याग्रही एक सम्मिलित कार्यवाही के रूप में – व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों में से किसी भी प्रकार का सत्याग्रह हो सकता है। गांधीजी ने सामूहिक सत्याग्रह के **निम्नलिखित प्रमुख ढंगों को स्पष्ट किया है –**

1. बुराई के साथ समझौता न करना **सामूहिक या व्यक्तिगत सत्याग्रह** का सर्वप्रथम ढंग है। सभी कार्य सहयोग के द्वारा किए जाते हैं। सरकार जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। सरकार केवल शक्ति के आधार पर ही जनता पर अपनी इच्छा को नहीं थोप सकती है। एक बार जनता जब पाशविक शक्ति से डरना बन्द कर देती है तो ऐसी पाशविक शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। असहयोग एक ऐसा अस्त्र है जो बुराई के शान्त या कम करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

2. सविनय अवज्ञा – कानून का अस्तित्व जनता की भलाई के लिए होता है। अतः प्रत्येक को कानून का पालन करना चाहिए। परन्तु यदि कानून जन हित के विरूद्ध हो तो वह अनैतिक तथा अयुक्तियुक्त होगा। ऐसी स्थिति में कानून की अवहेलना करना नैतिक होगा। इस सम्बन्ध में सविनय अवज्ञा, नागरिकों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला वैध अस्त्र है, क्योंकि अत्याचारी शासन के साथ सहयोग करने से इन्कार करना, चिरकाल से जनता का मान्यता प्राप्त अधिकार है।

3. **उपवास** – यह सत्याग्रही को नैतिक शक्ति प्रदान करता है तथा आत्म–शुद्धि का माध्यम है।

4. **हड़ताल** – यह उस विषय पर जिसके सम्बन्ध में सत्याग्रह किया है, सरकार तथा जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक साधन है। यह उसी स्थिति में प्रभावी होता है जब यह स्वैच्छिक तथा त्याग पर आधारित हो।

5. सामाजिक बहिष्कार – यह एक सामाजिक प्रथा है। यह ढंग प्राचीन काल में सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधी पर दबाव डालने के लिये प्रयुक्त किया जाता था। इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध किया जाना चाहिए जो सामाजिक विचार को चुनौती देता है।

6. **धरना** – यह किसी व्यक्ति विशेष का जो, किसी विशिष्ट कार्य को करना चाहता है, घेराव करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा जनसामान्य के आने जाने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को रोकने की कार्यवाही, शान्तिपूर्ण बल प्रयोग अभित्रास तथा अशिष्ट व्यवहार से मुक्त होनी चाहिए।

7. **हिजरत** – यह एक अरबी भाषा का शब्द हे। इसका तात्पर्य है, जनता द्वारा अन्य स्थान पर बसने के प्रतिरोध में किया गया आन्दोलन। गांधीजी ने कविथा के हरिजनों को हिजरत की सलाद दी, क्योंकि उस स्थान के सवर्ण हिन्दुओं के द्वारा उन पर निरन्तर आतंक स्थापित किया जा रहा था। इसका प्रयोग केवल कुछ विशिष्ट मामलों में ही किया जाना चाहिए।3

सत्याग्रह तथा निष्क्रिय प्रतिरोध – सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है। गांधीजी ने दोनों के मध्य महत्वपूर्ण अन्तर बताया है। सत्याग्रह में बुराई के विरूद्ध सक्रिय प्रतिरोध अर्न्तग्रस्त होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक मिथ्या नाम का प्रयोग है। सत्याग्रह अहिंसक होता है जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में शस्त्रों के प्रयोग की सम्भावना होती है। सत्याग्रह का लक्ष्य किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करना होता है। सत्याग्रह का उद्देश्य बुराई का अन्त करना है न कि बुरे व्यक्ति का, जबकि इसके विपरीत निष्क्रिय प्रतिरोध में ऐसा अन्तर नहीं होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दिनकर रामधारी सिंह– संस्कृति के चार अध्याय, पृ.624
2. धीरेन्द्र मोहन दत्त– कृत–फिलासफी ऑफ गांधी से है।
3. उद्धृत–काटजू. जि.ला.: गांधी टैगोर नेहरू, पृ.43

*****